५७/18 हरकेश बनाम हीरया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
30/3/22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/अन्य ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/4/22 को पेश हो। रीडर	
6-4-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस सुनी गई। उभयपक्ष के वकील विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि विभाजन चाहते हैं। अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 47/2018 | तारीख रजू 29.5.2018 | तारीख निर्णय 6.4.2022

1. हरकेश पुत्र किशनलाल, गुर्जर नि. मिलकपुर तह. गंगापुर सिटी
2. हरिसिंह पुत्र किशनलाल, गुर्जर नि. मिलकपुर तह. गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. हीरया पुत्र हरफूल, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. जगमोहन पुत्र हीरया, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. बच्चूसिंह पुत्र हीरया, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री जे.के. गर्ग, एडवोकेट, प्रति. नं0 1, 2, 3 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 330 रकबा 0.32 है0, ख0न0 331 रकवा 0.41 है0, ख0न0 322 रकवा 0.55 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.28 है0 ग्राम खोलाई तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी अपने हिस्से अनुसार आधी आधी भूमि को काश्तकार भूमि की फसल से लाभान्वित होते आ रहे है। उपरोक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। भूमि खसरा नम्बर 330 व 331 के सहारे लगता हुआ मीनापाडा से नारौली डांग की ओर जाने वाला पक्का रोड बना हुआ है। जिससे कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मन में बदनीयति पैदा हो गई तथा खसरा नम्बर 330 में वादीगण के हिस्से व उसके आने जाने के रास्ते को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने बन्द करने की धमकी दी। दिनांक 25.5.2018 को वादीगण ने इस बाबत प्रतिवादीगण से भूमि के विभाजन हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी की वे भूमि ख0न0 330 व 331 मे से एक इंच भी भूमि नही देगे और न ही इसमे होकर आने जाने का रास्ता देगें। इसलिये वादीगण को यह दावा बावत विभाजन भूमि का करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने वादीगण को यह धमकी दी है कि मै तुम्हे भूमि खसरा नम्बर 330 व 331 में से कोई भूमि नही देंगे तथा ज्यादा करोगे

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

तो हमे उक्त दोनो खसरा नम्बर के चारो ओर पुख्ता दीवार का निर्माण करवाकर तुम्हारा रास्ता भी बन्द करवा देंगे। दिनांक 26.05.2018 को प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 330 में नींव खोदना शुरू कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 330 रकवा 0.32 है0, ख0न0 331 रकवा 0.41 है0, ख0न0 332 रकवा 0.55 है0 ग्राम खोलाई तहसील गंगापुर सिटी का मीट्स व बाउण्ड्स के आधार पर रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से 1/2 का खाता पृथक किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्सा 1/2 का खाता पृथक किया जावे। इसी अनुसार समस्त रेवन्यु रिकार्ड में पृथक पृथक खातो का इन्द्राजात किये जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा मुख्य सडक ग्राम मीनापाडा से नारौली डांग पर वादीगण को आने जाने से नहीं रोके तथा भूमि का विभाजन कराये बिना अवैध रूप से बिना न्यायालय के आदेश के निर्माण कार्य नहीं करे, न ही अवैध रूप से बाउण्ड्री वाल का निर्माण करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बाबजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने जबाव इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 330, 331, 332 ग्राम खोलाई में स्थित है। जिसका पक्षकारों में बंटवारा हो गया है। यह भूमि आबादी में आ चुकी है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 330, 331, 332 में काफी अरसे से काश्त नहीं हो रही है, बल्कि मकानात बने हुए है। मौके पर भूमि बांट रखी है। खसरा नम्बर 330 व 331 प्रतिवादीगण के हिस्से की है, जिसमें उत्तर की तरफ 5 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 332 जो वादी के हिस्से की है, में जाने के लिए बना हुआ है, जो करीब 1 ऐयर है व खसरा नम्बर 331 की करीब 9 ऐयर भूमि रास्ते में जा चुकी है। खसरा नम्बर 330 व 331 की बाकी भूमि से वादीगण का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 330 व 331 सम्पूर्ण में जबावदारान के मकानात पुख्ता पाटौलपोश व छप्परपोश पचासों साल पुराने बने हुए हैं तथा खसरा नम्बर 332 के पूर्वी तरफ पुख्ता बाउन्डरी बनी हुई है। जबाव के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के बुजुर्गो

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (राज.) सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

के समय ही अरसा करीब 60 साल पूर्व बंटवारा हो गया था, बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 330 व 331 में उत्तरी तरफ 5 फिट की चौडाई का रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 332 में आने जाने के लिये छोडा गया। तथा शेष भूमि का बंटवारा होकर खसरा नम्बर 332 वादीगण के बुजुर्गो ने ले लिया। खसरा नम्बर 331 व 332 में उत्तर से दक्षिण करीब 2 ऐयर भूमि रास्ते में चली गई तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 330 व 331 के पूर्व में 85 फिट चौडा हाईवे प्रस्तावित है जो ग्राम मीना पाडा से नारौली डांग होते हुए सपोटरा तक जायेगा, इस रास्ते में करीब 20 ऐयर भूमि खसरा नम्बर 330 व 331 की रास्ते में निकल जायेगी। इस प्रकार खसरा नम्बर 330 व 331 का कुल रकवा 73 ऐयर में से 23 ऐयर भूमि कम होकर केवल 50 ऐयर भूमि ही रहती है, जबकि वादीगण के पास 55 ऐयर भूमि है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण से खसरा नम्बर 332 में से भूमि लेने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 330 व 331 सम्पूर्ण प्रतिवादी हीरया के हिस्से में आई। खसरा नम्बर 330, 331 व 332 के आस पास आबादी हो चुकी है। वादीगण ने भी खसरा नम्बर 332 में उत्तरी पश्चिमी तरफ खाम तथा दक्षिणी पश्चिमी तरफ पुख्ता मकान तथा लैटरिन बाथरूम बना लिया। जिसमें वादीगण रिहायश कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने भी खसरा नम्बर 330 व 331 में उत्तरी तरफ 5 फिट का रास्ता छोडकर उत्तर से दक्षिण पुख्ता बाउन्डरी कर ली तथा तारबन्दी कर ली तथा खसरा नम्बर 331 में पुख्ता मकानात बना लिये, जिसमें प्रतिवादीगण रिहायश कर रहे है। ये मकानात करीब 30 साल से ज्यादा समय से बने हुए है, जिनमें बिजली भी लगी हुई है। खसरा नम्बर 330 में उत्तरी पश्चिमी तरफ पुख्ता मकान बना लिया व दक्षिणी पूर्वी तरफ मकान बनाने के लिये पुख्ता दासाबन्दी कर रखी है तथा छानपोश मकान बना रखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 330 व 331 में प्रतिवादीगण के मकानात बने हुए हैं, कोई खाली भूमि नहीं है तथा खसरा नम्बर 330 व 331 में अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 330 व 331 से वादीगण का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 330, 331 व 332 में कोई काश्त भी नहीं हो रही है। वादीगण ने अपना मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में आबादी भूमि तथा स्वयं वादीगण के हिस्से की भूमि में ही मकान मकान बनाया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि का बंटवारा हो चुका है। भूमि का जब पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है तो अब पुनः बंटवारे का दावा चलने योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 330 व 331 पर वादीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

का कोई कब्जा भी नहीं है तथा खसरा नम्बर 332 के उत्तर में रास्ता पहले से ही है, जिसमें होकर वादीगण आमद रफ्त कर रहे हैं। खसरा नम्बर 330, 331 व 332 कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है, बल्कि मकानात बने हुए हैं। इस कारण से अदालत हाजा को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाया है और अदालत के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे है जो न्यायालय के साथ फ्राड है। इस आधार पर दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। अतः जवावदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर खसरा नम्बर 332 का इन्द्राज वादीगण एवं खसरा नम्बर 330, 331 का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किया जावे ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 133 ग्राम खौलाई, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

जबाब के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 8.2.2021 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवायी गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 3.8.2021 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. हीरया पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 330/1 रकबा 0.28 है0, ख0न0 331/1 रकबा 0.36 है0 कुल रकबा 0.64 है0 स्थित ग्राम खौलाई (जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है) रहेगी।

2. हरकेश पुत्र किशनलाल हि0 1/2, हरिसिंह पुत्र किशनलाल हि0 1/2 जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0न0 332 रकबा 0.55 है0, ख0न0 330/2 रकबा 0.04 है0, ख0न0 331/2 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.64 है0 स्थित ग्राम खौलाई (जिसे नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है) रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.4.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकदद्मे इब्तदाई | Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) | Part IV-10
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०

उनवान

1. हरकेश पुत्र किशनलाल, गुर्जर नि. मिलकपुर तह. गंगापुर सिटी
2. हरिसिंह पुत्र किशनलाल, गुर्जर नि. मिलकपुर तह. गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. हीरया पुत्र हरफूल, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. जगमोहन पुत्र हीरया, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. बच्चूसिंह पुत्र हीरया, गुर्जर निवासी मिलकपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 47/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जुगल किशोर गर्ग एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. हीरया पुत्र हरफूल जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 330/1 रकबा 0.28 है0, ख0न0 331/1 रकबा 0.36 है0 कुल रकबा 0.64 है0 स्थित ग्राम खौलाई (जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है) रहेगी।
2. हरकेश पुत्र किशनलाल हि0 1/2, हरिसिंह पुत्र किशनलाल हि0 1/2 जाति गुर्जर निवासी मिलकपुर राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0न0 332 रकबा 0.55 है0, ख0न0 330/2 रकबा 0.04 है0, ख0न0 331/2 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.64 है0 स्थित ग्राम खौलाई (जिसे नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है) रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

12

हरकेश वगैरा बनाम हीरया वगैरा, दावा

(2)

जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.4.2022 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		